



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223035  
CG-DL-E-10112020-223035

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3559]  
No. 3559]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/ कार्तिक 19, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(कार्मिक-I अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

का.आ. 4042(अ).—दिनांक 20 जनवरी, 2010 के का.आ. 117 (अ) के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20 जनवरी, 2010 की इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(5)/2009-सीएलएफ और ई के अधिक्रमण में और सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक सूचना के अधिगम को अवरूद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियमावली, 2009 के नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का 21वां) की धारा 69क की उप धारा (I) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेशक (राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र) (केन्द्र सरकार का एक ऐसा अधिकारी होने के नाते, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे रैंक का न हो) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली -11003 में उपर्युक्त नियमों के प्रयोजन से पदनामित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत और पदनामित करती है।

[फा. सं. 2(1)/2017-का.1]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****(Personnel-I Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2020

**S.O. 4042(E).**—In supersession of this Ministry's Notification No. 1(5)/2009-CLF&E dated 20th January 2010 published in the Gazette of India *vide* S.O. 117(E) dated 20th January 2010 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 3 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, the Central Government hereby authorises and designates the Director (National Cyber Coordination Centre) (being an officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary), in the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi - 110003, as the Designated Officer for the purpose of the said rules.

[F. No. 2(1)/2017-Pers.I]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.